खण्ड-9, अंक-1, वर्ष-2021, मु0प्र0 66-74
D.O.I.: https://doi.org/10.22445/avsp.v9i1.13
SJIF (2021) : 7.247

शोध पत्र

राजस्थान में कृष्णमृग वितरण-एक अध्ययन

सतीश कुमार शर्मा
राजस्थान वन सेवा (सेवा निवृत्त)
14–15, चकरी आम्बा, साकेत नगर, रामपुरा चौराहा
झाडोल रोड़, पोस्ट–नाई, उदयपुर–313 004, राजस्थान, भारत
sksharma56@gmail.com

प्राप्ति तिथि–31.08.2021, स्वीकृति तिथि–24.10.2021

सार– आजादी के समय राजस्थान में लगभग पूरे प्रदेश में कृष्णमृग का वितरण था परन्तु अब इस प्रजाति की उपस्थिति 21 जिलों में बची है। अब इस प्रजाति के वितरण में निरन्तरता भी नहीं रही, अपितु अरावली के पश्चिम में तथा पूर्व दिशा में हाड़ोती क्षेत्र में दो अलग–अलग भागों में प्राणि आबादी बँट गई है। राज्य के बीचो–बीच उत्तर से दक्षिण तक एक ऐसी पट्टी बन गई है जहाँ यह प्रजाति समाप्त हो चुकी है। राज्य में इस प्रजाति को बचाने हेतु आवास संरक्षण एवं पुनर्वास की बड़ी आवश्यकता है। अवैध शिकार पर रोक भी बहुत आवश्यक है।

बीज शब्द– राजस्थान, कृष्णमृग, वितरण

A Study on the Distribution of Blackbuck in Rajasthan

Satish Kumar Sharma
Rajasthan Forest Service (Retd.)
14-15, Chakri Amba, Saket Nagar, Rampura Chouraha
Jhodal Raod, Post-Nai, Udaipur–313 004, Rajasthan, India
sksharma56@gmail.com

Abstract- Blackbuck was more or less distributed in whole Rajasthan at the time of independence but now this species is confined to 21 districts only. Now there is no continuity in distribution in the state. Now whole population has splitted into two groups, one is confined to west of the Aravallis and another is located east of this mountain chain and Hadoti zone. A populationless strip has appeared in the mid of the state from the North to South direction. To protect the species, habitat conservation and restoration in needed. Check on poaching is also needed.

Key words- Rajasthan, Blackbuck, Distribution

1. **परिचय–** कृष्णमृग या काला हिरण (*Antilope cervicapra* Linnaeus, 1758) झाड़ीदार व घास वाले आवासों का एक महत्वपूर्ण शाकाहारी प्राणि है जो भारतीय उपमहाद्वीप का एक एण्डेमिक जीव है। राजस्थान में इस मृग की नार्थ–वैस्टर्न ब्लैक बक (North-western Blackbuck *A.c.rajputanae* Zukowsky, 1927) उपप्रजाति पाई जाती है। इस प्राणि की मुख्य आबादी अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में थार रेगिस्तान क्षेत्र में विद्यमान है। देश की आजादी के समय यह प्रजाति रेगिस्तानी क्षेत्र से लेकर अरावली के पूर्व दिशा में हाड़ौती (कोटा, बूंदी, बारां एवं झालावाड़) तक निरन्तरता में फैली थी।

परन्तु स्वतंत्रता के बाद शिकार, आवास क्षरण, कृषि विस्तार, सड़क दुर्घटनायें, खनन, आवारा कुत्तों का प्रकोप आदि कारणों से इन प्राणियों की संख्या घटती गई एवं कई स्थानों पर तो प्रजाति पूरी तरह ही समाप्त भी हो गई।

2. **अध्ययन के उद्देश्य–** इस प्रजाति के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियों हेतु संदर्भित साहित्य महत्वूपर्ण है।[1–14] परन्तु उपलब्ध साहित्य से कृष्णमृग की वर्तमान वितरण स्थिति की सही जानकारी नहीं मिलती। राजस्थान में बाघ, चौसिंगा, आदि के वितरण पर वर्तमान ही के वर्षों में अध्ययन हुये हैं।[7–8] ऐसे ही अध्ययन अन्य प्रजातियों हेतु भी होने चाहिएं। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुये कृष्णमृग के वर्तमान समय में राजस्थान में वितरण को जानने हेतु यह अध्ययन किया गया।

3. **प्रयोगात्मक अध्ययन विधि**– लेखक को वन विभाग राजस्थान से 1980 से 2016 तक राजकीय सेवा के दौरान राज्य के वन क्षेत्रों, चारागाहों, कृषि क्षेत्रों, जैविक उद्यानों आदि विभिन्न आवासों में कृष्णमृगों को अवलोकन करने, गणना करने, प्रबंधित करने, आवश्यकता पड़ने पर उनके बचाव व पुनर्वास के उपाय करने के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष अवसर मिले। वर्ष 2016 के बाद भी 2020 तक प्राणियों को देखने – समझने के अवसर राज्य में मिलते रहे। इस अवधि में आदिवासियों, कृष्णमृग के आवासों के आस–पास रहने वाले ग्रामीणों, कृषकों तथा पूर्व व वर्तमान वन अधिकारियों से संपर्क कर सूचनाएं प्राप्त की गईं। कई रियासत कालीन ठिकानों के महलों में लगी पुरानी ट्राफियों तथा दस्तावेजों को भी अवसर मिलने पर देखा गया तथा सूचनायें संग्रह की गईं। जब प्राणि कहीं प्रत्यक्ष दिखाई दिये तो उनकी संख्या, आवास का प्रकार, उनके स्थानीय लोगों से संबंध को इंगित करने वाली सूचनाओं को दर्ज किया गया। राजस्थान के सन्दर्भ में उपलब्ध टूरिज्म साहित्य का भी अध्ययन किया गया। उपलब्ध सूचनाओं का विश्लेषण किया गया जिसे यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है।

4. **नामकरण संबंधी प्रेक्षण**– अध्ययन के दौरान पाया गया देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान में कृष्णमृग को अनेक स्थानीय नामों से जाना जाता है। पूरे राज्य में यह मृग काला हिरण व कृष्णमृग के नाम से जाना जाता है। अलवर जिले में नर को कारेडा, कालेडा व बाबा के नाम से एवं मादा को मुडान व मोडान नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में बिना सींगों के पशु को मोडी/मोडा संज्ञा दी जाती है। चूँकि मादा कृष्णमृग के सींग नहीं होते अतः मोडी/मोडा शब्द से व्युत्पन्न 'मुडान/मोडान' नाम से मादा हिरण को जाना जाता है। अलवर जिले के मुण्डार क्षेत्र में मादा मृग को 'पुष्करी' या 'पुष्करी हिरण' नाम से भी जाना जाता है।

5. **वितरण संबंधी प्रेक्षण**– राजस्थान के विभिन्न जिलों के सर्वे के दौरान कृष्णमृग की उपस्थिति संबंधी सूचनाएं **सारिणी–1** में प्रस्तुत की गई हैं।

सारिणी–1

राजस्थान में कृष्णमृग की उपस्थिति

क्र0सं0	जिला	वितरण विवरण		
		पहले वितरण था परन्तु अब नहीं	पहले भी वितरण था एवं प्रजाति अभी भी विद्यमान है	अन्य स्थल जहाँ अध्ययन के दौरान प्रजाति उपस्थित पाई गई
1.	जयपुर	1932 में जयपुर के आसपास वितरण था। वहाँ से शिकार किये एक प्राणि की ट्राफी उदयविलास महल, डूंगरपुर में विद्यमान है, जयपुर के बनीपार्क क्षेत्र में 1937 तक विद्यमान था (श्री समर सिंह, निजी वार्तालाप, 2004)।		
2	अलवर	वर्ष 1999 में सरिस्का में 1 प्राणि विद्यमान था। साहिबी नदी में एवं उसके आस–पास तथा मुण्डावर क्षेत्र में 1955–60 तक कृष्णमृग विद्यमान थे (श्री नन्दराम जाट, निजी वार्तालाप, 2016)। जोडिया में 1999 में 125 प्राणि थे।[2] अब प्राणि वहाँ विद्यमान नहीं हैं (श्री उदयराम, सेवा निवृत सहायक वन सरंक्षक, निजी वार्तालाप 2020)।		

3	चूरू		तालछापर वन्यजीव अभयारण्य[2,5,6]	
4	बीकानेर		• गजनेर[4,13] • दियात्रा में 1995 में 75 प्राणि थे[2]	करणीमाता ओरण, (देशनोक) तथा नोखा में 2018 में देखे
5	भरतपुर	बंध बारेठा वन्यजीव अभयारण्य में 1999 तक उपस्थिति दर्ज (श्री भोलू अबरार खान, से0नि0 क्षेत्रीय वन अधिकारी, निजी वार्तालाप, 2021) केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में 1997 में 19 प्राणि थे[2] लेकिन वर्ष 1999 की बाढ़ में प्राणी बाहर बह गये। वर्ष 2000 के बाद अब इस प्रजाति के प्राणि यहाँ नहीं रहे। (श्री भोलू अबरार खान, से0नि0 क्षेत्रीय वन अधिकारी, निजी वार्ता, 2021)		
6	सिरोही	वाड़ाखेड़ा घास बीड एवं बालदा घास बीड में उपस्थित (श्री सुनील गुप्ता, सहायक वन संरक्षक, सिरोही निजी वार्ता, 2021)		
7	उदयपुर	नाहर मगरा [7], देबारी [7], डबोक, मावली, भिण्डर, कुराबड, खेमली, कानोड में बडी संख्या में विद्यमान थे। 1947 के बाद कृष्णमृगों का तेजी से शिकार होने लगा तथा लगभग 1970–1980 में ये समाप्त हो गये (श्री रजा तहसीन, निजी वार्ता, 2016)		
8	टौंक	रानीपुर के आस–पास 1999 में 1025 प्राणि विद्यमान थे[2]		
9	राजसमंद	देवगढ़ एवं आमेट में 1976 तक थे। बाद में कम होते–होते 1980 तक समाप्त हो गये (श्री मुकुन्द माधव सिंह, निजी वार्तालाप 2018)		
10	भीलवाड़ा	रायला, शाहपुरा (श्री भैरूसिंह चुण्डावत पूर्व मानद वन्यजीव प्रतिपाल, निजी वार्ता, 2016)		भीलवाड़ा में 1999 में 175 प्राणि थे।[2] आसोप घास बीड में वर्ष 2018 में 80 प्राणि पाये गये। हुरडा घास बीड में भी काला हिरण विद्यमान पाया गया

11	जालौर		• भैंसवाड़ा (तह आहोर), रानीवाड़ा रेंज के वन क्षेत्र, साँचौर व जालौर के आस–पास (श्री परबतसिंह, से0नि0 क्षेत्रीय वन अधिकारी, डॉ0 अनिल छगानी, डॉ0 श्रवणसिंह, श्री मंगलसिंह, निजी वार्ता, 2021) • पूर्ण पंचेरी क्षेत्र(रेंज जसंवतपुरा में 2018 में 15–20 प्राणि थे। श्री सुरेशा, क्षेत्रीय वन अधिकारी, निजी वार्तालाप, 2021)	
12	डूंगरपुर	1933 में नवलखा (डूंगरपुर शहर के पास) क्षेत्र में प्राणि विद्यमान थे (श्री समरसिंह निजी वार्ता, 2004)		
13	पाली		केरला, रोहट, खारडा, नहडा, सरदार समंद, मोर्टूका, ढाबर, लालकी, कलाली, नेमली, वायद जैतपुर, गडवाडा, बिट्टू मोरिया, बिन्जा (डॉ0 अनिल छगानी एवं डॉ0 श्रवणसिंह, निजी वार्ता, 2021)	
14	सीकर			पहले जिले में अधिक संख्या में विद्यमान थे[12] लेकिन अब बीड फतहपुर (रेंज फतहपुर) में लगभग 90–100 प्राणि विद्यमान हैं (श्री भीमाराम जाट, उपवन संरक्षक, निजी वार्ता, 2021)
15	जोधपुर	डॉ0 सरवणसिंह राठौड़, वन्यजीव अधिकारी एवं भैराराम विश्नोई वन रक्षक निजी वार्तालाप 2021	गुढा विश्नोईयान, धावा डोली एवं साथिन में 1999 में क्रमशः 2634, 1725 एवं 900 प्राणि विद्यामान थे।[2] अभी भी यह प्रजाति लम्बा पीपाडा, कोसना, तिलवासनी, जोधपुर, विष्णु ढाणी, जाजीवाल, पीथावास, रूडकली, दाँतीवाड़ा, ओसियां, बेरू, भीकमकोर, फलौदी, भोपालगढ, बिलाडा, काँकाणी, भवाद, रामडावास, ओवली, फिट कासनी मोडी, भटिंडा,	

			पीसावस, लूणी, खेजडली, निम्बला, खरबेडा, शिकारपुर, फींच, खुडाला, हिंगोली, सूंरपुरा, ढूरू, नान्दिया, खेडी खुर्द, जूड (डॉ. अनिल छगानी एवं डॉ. श्रवणसिंह, निजी वार्ता, 2021)	
16	बूंदी		नैनवा, धानू गांव, पान्डूला, धीरपुर, सुवानिया में 40–50 प्राणि विद्यमान हैं। बूंदी जिले में कृष्णमृग टौंक सीमा की तरफ विद्यमान हैं (श्री बिट्ठल सनाढ्य, सेवा निवृत्त क्षेत्रीय वन अधिकारी, निजी वार्ता 2019)	
17	करोली		हिन्डोन उपखण्ड में इरनिया–बिनेगा जंगल तथा करोली–गंगापुर के बीच कुछ कृष्णमृग विद्यमान है जो हिण्डोन क्षेत्र से लेकर दौसा जिले के महवा क्षेत्र तक आते–जाते रहते हैं। (डॉ0 राकेश शर्मा, सेवा निवृत्त क्षेत्रीय वन अधिकारी, निजी वार्ता, 2020)	
18	बारां		सोरसन में 2016 में 1151 थे[3]	सालपुरा अटरू, पिपलोद, अंता, बामला (सोरसन से चरने आते हैं)
19	कोटा			बृजनगर, कुराड, बृजलिया, खातीखेडा, चारचौडा, खजूरी, थूमडा, धोती में 50–60 प्राणि हैं। लोगों से सूचना मिली है कि यह प्राणि जिले के अन्य गाँव में भी विद्यमान हैं
20	झालावाड़		बाघेर नाका अन्तर्गत धुलेट वन क्षेत्र से लेकर खानपुर तक एवं कालीसिंध नदी के तटीय क्षेत्र के आस–पास 15–20 की संख्या में छोटे झुण्डों में नजर आते है। (श्री जयराम पाण्डे, उप वन संरक्षक, निजी वार्ता, 2021)	

21	धौलपुर	यह प्रजाति वन विहार अभयारण्य में 2000–2005 तक विद्यमान थी लेकिन अब प्राणि नजर नहीं आ रहे हैं। (श्री के0 सी0 मीणा, उपवन संरक्षक, धौलपुर, निजी वार्ता, 2021)		
22	चित्तौड़गढ़	देश की आजादी के समय उदयपुर जिले में उदयपुर शहर के पूर्वी छोर से लेकर चंदेसरा व चित्तौड़गढ़ तक बडी संख्या में विद्यमान थे। उदयपुर जिले के मावली व चित्तौड़गढ के कपासन में बीच के क्षेत्र में कृष्णमृग बडी संख्या में थे लेकिन 1970–80 तक समाप्त हो गये (डॉ0 रजा तहसीन, निजी वार्तालाप 2016)		
23	बाड़मेर		डोली, धोरीमन्ना तथासिवाणा तहसील के कल्याणपुर गांव में विद्यमान (श्री भगवान सिंह, से0 नि0 सहायक वन संरक्षक, निजी वार्ता, 2020)	
24	नागौर		मेड़ता, डेगाना, अलाई, जारोडा, रोटू, गचीपुरा [13] मूंदवा (श्री परबत सिंह से0नि0 क्षेत्रीय वन अधिकारी, निजी वार्ता, 2020)	
25	हनुमानगढ़			कालीबंगा, पीलीबंगा (डॉ. अनिल छगानी एवं डॉ0 श्रवण सिंह, निजी वार्ता, 2021)
26	श्री गंगानगर		• अनूपगढ[13]	रिडमलसर, पदमपुर (डॉ0 अनिल छगानी एवं डॉ0 श्रवण सिंह, निजी वार्ता, 2021)
27	झुन्झुनु		पूर्व में अधिक संख्या में विद्यमान थे[12] परन्तु अब संख्या में भारी गिरावट आ चुकी है एवं कहीं–कहीं ही प्राणि नजर आते हैं। मल्सीसर की तरफ अभी भी छोटे झुण्ड नजर आते हैं। (डॉ0 दाऊलाल बोहरा, निजी वार्ता, 2021)	

28	अजमेर	कभी अजमेर में दूर तक प्रजाति पायी जाती थी। 1965–70 तक मसूदा के आस–पास के क्षेत्रों, खासकर राताकोट की डॉग में अधिक थे (श्री भोपाल सिंह, से0 नि0 सहायक वन संरक्षक, निजी वार्ता, 2021)		
29	सवाई माधोपुर		चौथ का बरवाडा के आस–पास विद्यमान। रणथम्भोर बाघ परियोजना सहित अन्य क्षेत्रों में यह प्रजाति विद्यमान नहीं हैं। (श्री अरविन्द झा, सहायक वन संरक्षक, निजी वार्ता, 2021)।	
30	दौसा		पहले काले हिरण अधिक संख्या में विद्यमान थे लेकिन बाद में संख्या निरन्तर घटती चली गयी। जनवरी 1, 2021 को भी सड़क दुर्घटना में एक घायल नर महवा क्षेत्र में पाया गया (श्री केतन कुमार, उपवन संरक्षक, दौसा, निजी वार्ता, 2021)	

स्वतंत्रता के बाद, 1960 तक यह प्रजाति लगभग पूरे राज्य में फैली थी परन्तु अब 21 जिलों में ही निवास कर रही है। यह प्रजाति पश्चिम दिशा में एकदम छोर के जिले जैसलमेर में उपिस्थत नहीं है (श्री वी0 डी0 शर्मा, सेवा निवृत्त प्रधान मुख्य संरक्षक, राजस्थान, जयपुर, निजी वार्ता, 2015)। कभी राजस्थान में विस्तृत क्षेत्र में निरन्तर फैली हुई प्रजाति अब राज्य में दो भागों में बँट गई है। अरावली के पश्चिम में रेगिस्तान क्षेत्र एवं अरावली के पूर्व में हाड़ौती क्षेत्र (कोटा, बूंदी, बारां व झालावाड़) एवं आस–पास सटे भीलवाड़ा, टौंक व करोली जिलों में बची है। उदयपुर, राजसमंद, जयपुर, धौलपुर, अलवर, भरतपुर, डूंगरपुर एवं चित्तौड़गढ़ जिलों में यह प्रजाति अब नहीं रही जबकि पहले यह प्रजाति यहाँ भी उपस्थित थी ।

स्वतंत्रता के तुरन्त बाद राजस्थान में बंजर, गोचर, बणी, रूँध आदि जैसे परम्परागत आवास एवं असिंचित खेती का बाहुल्य था। ये आवास कृष्णमृगों के चरने, रहने, छुपने, सुरक्षा पाने एवं प्रजनन गतिविधियों हेतु उपयुक्त थे। लेकिन बढ़ते कृषिकरण ने इस प्रजाति से पंरपरागत आवास छीन लिये। गाँवों के गोचर व चारागाह अतिक्रमण, ***प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा*** प्रकोप एवं कुप्रबन्ध जैसे कारणों से न केवल उत्पादकता खो बैठे बल्कि कमोबेश नष्टप्रायः हो गये। इस स्थिति में ये खेतों में चरने लगे और स्थानीय लोगों को अप्रिय लगने लगे। अब इनसे छुटकारा पाने के लिये शिकार जैसी प्रवृत्तियाँ बढ़ने लगी और वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 आने तक बड़े क्षेत्र सें यह प्रजाति राजस्थान में समाप्त हो गई। खासतौर से अरावली के समानान्तर उत्तर से लेकर दक्षिण दिशा में अलवर, जयपुर, अजमेर, राजसमंद एवं उदयपुर जिलों तक एक पट्टी कृष्णमृग विहीन हो गई।

उदयपुर जिले में देबारी से चित्तौड़गढ़ तक स्वतंत्रता के वर्ष 1947 के तुरन्त बाद इतने कृष्णमृग थे कि अपने स्वभाव अनुसार जब वे एक कतार में चलते–भागते सड़क को पार करते थे तो पूरा दल निकलने में बड़ी देर लग जाती थी तथा उतनी देर यातायात रूक जाता था (डॉ0 रजा तहसीन, निजी वार्ता, 2016)। परन्तु आज इस क्षेत्र में यह प्रजाति पूर्णतया समाप्त हो चुकी है। यह स्थिति आज राज्य में अनेक स्थानों पर दिखाई देती है।

राजस्थान में कृष्णमृगों व सूअरों के दल को 'डार' कहा जाता है। 1970 तक कृष्णमृग की अनेक स्थानों पर बड़ी–बड़ी डारें देखने को मिलती थी। अलवर जिले के ग्रामीण अंचल में पुराने समय में प्रत्येक घर में कृष्णमृग के 1–2 सींग अवश्य मिल जाते थे। खोखले सींग में तेल या घी भर कर बैलों को सर्दी में पिलाया जाता था। ऊँटों पर रखे जाने वाले 'पलाण' यानी काठी में चार गद्दियाँ अन्दर की तरफ लगाई

जाती थी ताकि पलाण की लकड़ी ऊँट के शरीर पर रगड़ लगाकर बदन छीले नहीं। इन गद्दियों की सिलाई कृष्णमृग के सींग के पैने छोर से छेद कर बनाई जाती थी। इसी तरह तत्कालीन राजस्थान में चड्स से कुओं से पानी निकालने हेतु एक मोटे रस्से 'लाव' का उपयोग किया जाता था। लाव के टूटने पर दोनों टूटे छोरों को आपस में गूँथने हेतु कृष्णमृग के सींग का उपयोग किया जाता था तथा सींग का पैना छोर ऐंठी हुई लाव में अतिरिक्त रस्सी से बांधने की जगह बनाने हेतु प्रयुक्त होता था। इस प्रक्रिया को ''लाव साँठना'' कहा जाता था। तत्कालीन डूँगरपुर रियासत में कृष्णमृग नहीं थे बल्कि बाहर से लाकर आजादी पूर्व आबाद किये गये थे (श्री समरसिंह निजी वार्ता, 2004 एवं श्री वीरेन्द्र सिंह बेड़सा, निजी वार्ता, 2021) लेकिन वे कालान्तर में समाप्त हो गए। अलवर के जोड़िया क्षेत्र में 1984 के आस–पास लगभग 150 कृष्णमृग थे (श्री भगवान सिंह राठौड़, सेवा निवृत्त वन सहायक, निजी वार्ता, 2021) परन्तु आज यह प्रजाति वहाँ नहीं बची है। आवास विनाश वहाँ सबसे बडा कारण रहा। इसी तरह केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर में भी 1978–79 में जोधपुर से काले हिरण लाकर छोड़े गऐ थे लेकिन यह प्रजाति कालान्तर में यहाँ से भी समाप्त हो गई (श्री भोलू अबरार खान, से0नि0 क्षेत्रीय वन अधिकारी, निजी वार्तालाप, 2021)।

राजस्थान के धुर पश्चिमी जिले जैसलमेर की सीमा पर पाकिस्तानी क्षेत्र में कृष्णमृग की एक छोटी संख्या निवास करती है।[14] इससे प्रतीत होता है कि स्वतंत्रता से पूर्व सिंध से लेकर जैसलमेर, जोधपुर एवं अरावली पर्वतमाला तक यह प्रजाति विद्यमान थी। वर्ष 1947 में यह प्रजाति लगभग पूरे राजस्थान में अर्द्धशुष्क क्षेत्रों के चारागाह, बंजर भूमि व झाड़ीदार क्षेत्र तथा खेतों में निवास करती थी लेकिन आज यह प्रजाति चूरू, बीकानेर, सिरोही, टौंक, भीलवाड़ा, जालौर, पाली, सीकर, जोधपुर, बूंदी, करोली, बारां, कोटा, झालावाड़, बाड़मेर, नागौर, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, झुन्झनु, दौसा एवं सवाई माधोपुर कुल 21 जिलों में कृष्णमृग विद्यमान बचा है। राज्य में अन्य जगहों से अब यह प्रजाति समाप्त हो गई।

5. **निष्कर्ष**– स्वतंत्रता के वर्ष 1947 के बाद भी कृष्णमृग राज्य में दूर–दूर तक निरन्तर वितरण में था। आजादी के बाद में उपस्थिति आँकडों से सहज ही सोचा जा सकता है कि स्वतंत्रता से पूर्व यह प्रजाति और भी सघनता से वितरण में रही होगी। पहले 8000–10000 संख्या तक के झुण्ड देखने को मिलते थे। लेकिन अब 10–15 संख्या तक के झुण्ड ही प्रायः देखने को मिलते हैं।[12] कृष्णमृग व चिंकारा जैसी प्रजातियां कृषकों के खेतों में चरने की प्रवृत्ति रखती हैं। विश्नोई बाहुल्य क्षेत्रों के अलावा अन्य जाति व संप्रदायों के लोग अपने खेतों में इन प्राणियों द्वारा हुई चराई के नुकसान से अप्रसन्न रहते हैं। सरकार को चाहिये कि जिन क्षेत्रों में ये वन्य प्राणि चराई द्वारा नुकसान करते हैं, उन क्षेत्रों में क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की जाये। इन प्राणियों के प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा, ***प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा*** उन्मूलन, शिकार पर प्रभावी रोक, उचित बचाव व पुनर्वास सेवाओं का विकास तथा आवारा कुत्तों पर नियन्त्रण कर कृष्णमृगों को सुरिक्षत व संरक्षित किया जा सकता है। क्योंकि यह प्रजाति प्रायः वन क्षेत्रों से अधिक दूर ही निवास करती है, अतः आमजन को जागरूक कर संरक्षण कार्यों में उनका सहयोग भी किया जाना चाहिये।

राजस्थान में कृष्णमृग के सरंक्षण को बढ़ावा देने के लिये सरकार ने अच्छे प्रयास किये हैं। चुरू जिले में कृष्णमृग के संरक्षण को ध्यान में रखकर तालछापर में वर्ष 1971 में अभयारण्य की स्थापना की है। फरवरी 17, 2016 को कृष्णमृग को चूरू जिले का शुंभकर भी घोषित किया गया। जोधपुर जिले में कृष्णमृग व चिकांरा को संरक्षित करने हेतु ''गुढ़ा विश्नोईयान कन्जर्वेशन रिजर्व'' 2011 में स्थापित किया गया। राज्य में जगह–जगह चारागाह विकास तथा वनक्षेत्रों से ***प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा*** उन्मूलन प्रांरभ किया गया है ताकि आवासों की गुणवत्ता में सुधार हो एवं चारा उत्पादन बढ़ाया जा सके। ये प्रयास निरन्तर जारी रहने चाहियें। सारे राज्य में, खासकर पश्चिमी राजस्थान में शिकार की रोकथाम के गंभीर प्रयास भी अपेक्षित हैं।

6. **आभार**– लेखक वन विभाग, राजस्थान का बहुत आभारी है। विभाग के सहयोग से ही यह अध्ययन संभव हुआ है। लेखक श्री समर सिंह, श्री वीरेन्द्र सिंह बेडसा, प्रो0 अनिल छंगाणी (प्राणि शास्त्र विभागाध्यक्ष, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर), डॉ0 राकेश शर्मा, डॉ0 रजा तहसीन, श्री भीमाराम जाट, उप वन संरक्षक, डॉ0 श्रृवण सिंह राठौड़ (वन्यजीव पशु चिकित्सा अधिकारी), डॉ0 सुनील दवे, श्री भगवान सिंह राठौड़ (सेवा निवृत्त सहायक वन संरक्षक), श्री उदयराम जाट (सेवा निवृत्त सहायक वन संरक्षक), श्री नन्दराम जाट, श्री सुरेश (क्षेत्रीय वन अधिकारी), श्री भोलू अबरार खान (सेवा निवृत्त क्षेत्रीय वन अधिकारी) का आभारी है जिन्होंने सूचनायें एवं अनुभव साझा कर अनुग्रहीत किया।

संदर्भ

1. सोनी, ए0 के0 (2013) करंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैकबक (एन्टीलॉप सर्वीकेप्रा) एण्ड सोशियो–इकॉनोमिक स्टेट्स ऑफ विलेजेज इन सोरसन प्रोटेक्टेड ऐरिया, बारां, राजस्थान, इंडिया। एम0एस–सी0 डिजर्टेशन, डिपार्टमैन्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ साइंस, यूनीवर्सिटी ऑफ कोटा, कोटा, राजस्थान, मु0पृ0 1–67।

2. शेखावत, एस0 (1999) ईकोलॉजी ऑफ ब्लैकबक (प्रोजेक्ट रिर्पोट), डिपार्टमेन्ट ऑफ जूलॉजी, यूनीवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जयपुर, मु0पृ0 1–38 ।

3. शर्मा, एस0 के0 (2016) बायोडायवर्सिटी ऑफ बारां डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान, मु0पृ0 1–94 (जिला प्रशासन बारां द्वारा कराया गया अध्ययन)।
4. स्वामी, एम0 के0 (1999) सम ऑब्जर्वेशन ऑफ ड्रिंकिंग एण्ड वॉटर हॉल शेयरिंग बिहेवियर ऑफ मैमल्स ऑफ गजनेर सैंक्चुरी, बीकानेर एम0फिल0 डिजर्टेशन, जूलॉजी, डूंगर कॉलेज, बीकानेर, राजस्थान, मु0पृ0 1–79।
5. शर्मा, ए0 के0 एवं सिंह, आर0 (1989) ताल छापर ब्लैकबक कन्टरी, सैंक्चुरी, खण्ड–9, अंक–2, मु0पृ0 38–45।
6. शर्मा, ए0 के0 (1995) इन्टरैक्शन बिटविन ब्लैकबक एन्टीलॉप स्वीकेप्रा (लिन.) एण्ड इन्डियन फॉक्स वल्पीज बैंगालेन्सिस (शॉ), जरनल बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी, खण्ड–92, अंक–1, मु0पृ0 118।
7. शर्मा, एस0 के0 (2020) राजस्थान में चौसींगा वितरण–एक अध्ययन, अनुसंधान विज्ञान शोध पत्रिका, खण्ड–8, अंक–1 मु0पृ0 22–28। DOI : 10.22445/avsp. v8i1.4
8. शर्मा, एस0 के0 (2016) दक्षिणी राजस्थान में बाघों की उपस्थिति–कुछ प्रमाण, अनुसंधान विज्ञान शोध पत्रिका, खण्ड–4, अंक–1, मु0पृ0 15–18। DOI : 10.22445/avsp. v4i1.4369
9. तहसीन, आर0 एच0 (1981) इज कॉलेज ऑफ टोपोग्राफी इनहैरीटेड बाय वाइट एनीमल्स ? चीतल, खण्ड–23, अंक–2, मु0पृ0 18–20।
10. मेनन, वी0 (2014) इंडियन मैमल्स, हैचेट बुक पब्लिशिंग हाउस प्रा0 लि0 गुडगाँव, हरियाणा, मु0पृ0 180–181।
11. प्रेटर, एस0 एच0 (1980) द बुक ऑफ इन्डियन मैमल्स, बाम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी, मु0पृ0 270–271।
12. प्रकाश, ई0 (1994) मैमल्स ऑफ द थार डेजर्ट, साइन्टीफिक पब्लिशर्स, जोधपुर, मु0पृ077–78।
13. डूकिया, एस0; रावत, एम. एवं जाखड, जी0 आर0 (2013) वाइल्ड अंगुलेट इन राजस्थान। इन, शर्मा, बी0 के0, एस0 कुलश्रेष्ठ एवं ए0 आर0 रहमानी (संपादक) फौनल हैरीटेज ऑफ राजस्थान इंडिया, स्प्रिन्जर न्यू मॉर्क हीडेलबर्ग डॉर्डरेच्ट लंदन, मु0पृ0 573–583।
14. राबर्ट्स, टी0 जे0 (1997) द मैमल्स ऑफ पाकिस्तान, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, मु0पृ0 253–265।